रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1043] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 13, 2017/चैत्र 23, 1939
No. 1043] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 13, 2017/CHAITRA 23, 1939

India Code

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2017

का.आ. 1175 (अ). – भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 3224 (अ), तारीख 23 नवम्बर, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए एक प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी;

और उक्त राजपत्र, जिसमें उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट है, की प्रतियां जनता को 23 नवम्बर, 2015, को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया गया;

और, भामरागढ़ वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र के गडचिरोली जिले में स्थित है और 104.38 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है;

और, यह अभयारण्य जैव विविधता से समृद्ध है और कीटों और रीढधारी की लगभग सभी श्रेणियों की व्यापक रेंज के अलावा 245 पादप प्रजातियों, पक्षियों की 193 प्रजातियों का आश्रय स्थल है;

और, इस क्षेत्र से जड़ी-बूटियों की 73 प्रजातियों, झाडियों की 15 प्रजातियों, घास की 47 प्रजातियों और वृक्षों की 69 प्रजातियों का प्रलेखन किया गया है जिनमें से 151 प्रजातियों औषधीय पादपों की है;

और, भामरागढ़ वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिक और पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य में भामरागढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 3 से 6 किलोमीटर तक के विस्तार तक के क्षेत्र को भामरागढ़ वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन, महाराष्ट्र राज्य में भामरागढ़ वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर की सीमा 85.75 वर्ग किलोमीटर 3 से 6 किलोमीटर की भिन्न-भिन्न सीमा तक के विस्तार तक फैला हुआ है। पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध-I** में दिया गया है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन महाराष्ट्र के गडचिरोली जिले के अंतर्गत आने वाले 7 ग्रामों में फैला हुआ है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची प्रमुख बिन्दुओं के निर्देशांकों के साथ **उपाबंध-II** के रूप में उपाबद्ध है ।

(4) अक्षांश और देशान्तर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध-III** के रूप में इस अधिसूचना से उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) उक्त महायोजना राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट रीति में तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य सभी और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार की जाएगी ।

(4) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन;

(iii) नगर विकास;

(iv) पर्यटन;

(v) नगरपालिका;

(vi) राजस्व;

(vii) कृषि ;

(viii) महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(ix) सिंचाई; और

(x) लोक निर्माण विभाग।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

IndiaCode

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास के पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की आजीविका को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकारें इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं0 10,17, 23, 30 **और** 33 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ बनाना;

(iii) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग ;

(iv) वर्षा जल संचयन; और

(v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुख-सुविधाएं हैं :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ।

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पारिस्थितिक/पर्यटन –** (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी ।

(ii) पारिस्थितिक/पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, महाराष्ट्र प्रदेश सरकार द्वारा महाराष्ट्र सरकार के राजस्व विभाग और वन विभाग, के परामर्श से तैयार की जाएगी ।

(iii) पारिस्थितिक/पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात्:-

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिक/पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित और यथा लागू) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ख) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय भामरागढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर भीतर होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा । तथापि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक नए होटल और रिसोर्ट की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधा के लिए पूर्व परिभाषित और विनिर्दिष्ट स्थान में ही अनुज्ञात किया जाएगा ।

(ग) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों 2000 के अनुसार अंतर्गत कार्यान्वित करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार में मार्गदर्शक सिद्धांतों और विनियमों को कार्यान्वित करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण सामान्य मानकों के लिए पर्यावरणीय प्रदूषित आच्छादित के निस्सारण के अंतर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा--

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, समय-समय पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना स.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय यातायात-** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) **औद्योगिक इकाईयां -** (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ उद्योगों की स्थापना विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के लिए अनुज्ञात की जाएगी अन्यथा नहीं ।

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले किसी नए उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध होंगी । तथापि, वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना विद्यमान विनियमों के अनुसार अनुज्ञात होंगे । (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सिविल) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वथा होंगे ।
2.	आरा मिलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
4.	नए बृहत जल विद्युत परियोजना और सिंचाई परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित प्रवाह के निर्वहन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
7.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : तथापि विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग लागू विधि के अनुसार निरंतर बने रहेंगे ;
8.	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे। तथापि स्थानीय किसानों द्वारा छोटे स्तर पर की गई पहले अनुज्ञात होंगी।
	विनियमित क्रियाकलाप	
9.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होगें ।
10.	होटल और रिसोर्ट का वाणिज्यिक स्थापन ।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। तथापि, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का

		विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार होगा। राज्य सरकार के स्थानीय/ क्षेत्रीय/ शहर नियोजन प्राधिकरणों द्वारा तय किए गए सभी योजना और नियम उपर्युक्त नियमों पर लागू होंगे।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अंतर्गत आंचलिक महायोजना के अनुसार पैरा 6 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। (ख) परन्तु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में निर्माण क्रियाकलापों आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे। राज्य सरकार के स्थानीय / क्षेत्रीय / शहर नियोजन प्राधिकरणों द्वारा तय किए गए सभी योजना और नियम उपर्युक्त नियमों पर लागू होंगे।
12.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होगें।
13.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी। (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा कार्ययोजना में दिए गए विवरण का अनुसरण किया जाएगा।
14.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण सतही और भूमिगत जल अनुज्ञात होगा। (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है। (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा। (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।
15.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण।	(i) बिजली के केबलों का निर्माण केवल उन ग्रामों के लिए किया जाएगा है जहां बिजली नहीं है। (ii) बिजली और दूरसंचार केबल बनाने की उन्नयन/नवीनीकरण की अनुमति दी जाएगी। (ii) भूमिगत केबलों को बढ़ावा दिया जाएगा।
16.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा और मजबूत करना।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे।
18.	रात्रि में यानिक परिवहन का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
19.	प्रवासी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
20.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

21.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।
22.	साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे ।
24.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	वायु और यानिक प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	दुकानदारों द्वारा पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
29.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन ।	तथापि, इनमें से कुछ क्रियाकलापों का अत्यधिक विस्तार, महायोजना के अनुसार विनियमित होगा।
30.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
33.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बायो गैस, सौर प्रकाश आदि को बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
36.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
37.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।

5. पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का तीन वर्ष के लिए गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्

(i)	गडचिरोली जिले का कलेक्टर,	-अध्यक्ष;
(ii)	उप वन संरक्षक(वन्यजीव), अल्लापल्ली	-सदस्य;
(iii)	महराष्ट्र सरकार के प्रत्येक विभाग अर्थात् राजस्व, पुलिस, लोक निर्माण विभाग ,उद्योग, जल संसाधन, शहरी विकास, ग्रामीण विकास का प्रतिनिधि	-सदस्य;
(iv)	गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधि जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, जो महाराष्ट्र राज्य सरकार नामनिर्दिष्ट किया जाएगा	-सदस्य;
(v)	पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र में महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(vi)	क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
(vii)	सदस्य-सचिव/सदस्य, राज्य जैव-विविधता बोर्ड	सदस्य;
(viii)	ज्येष्ठ नगर योजनाकार, बुल्धाना	सदस्य;
(ix)	उप वन संरक्षक(टी), भामरागढ़	सदस्य-सचिव।

निर्देश निबंधन : (1) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, और जो पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(5) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

7. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अध्यधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[फा.सं. 25/12/2015-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं का विवरण

भामरागढ़ वन्यजीव अभयारण्य का सपूर्ण क्षेत्र और प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन सुदुर है और आड़ी –तिरछी बारहमासी नदियों नामश पारलाकोटा, पमूगगौतम, और निबरा से घिरा हुआ है । इसकी उत्तरी दिशा जिसकी सीमा सामान्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य से मिलती है पारिस्थितिक **संवेदी जोन की महाराष्ट्र वन विभाग की भामरागढ़ वन मंडल की भामरागढ़ रेंज के वन क्षेत्र के साथ साझा सीमा है । गट्टा रेंज का गांव हिकर और गट्टा रेंज के उपखंड सं**.410, 421 **और** 425 **भी इस** पारिस्थितिक **संवेदी जोन की उत्तरी सीमा पर स्थिति है।**

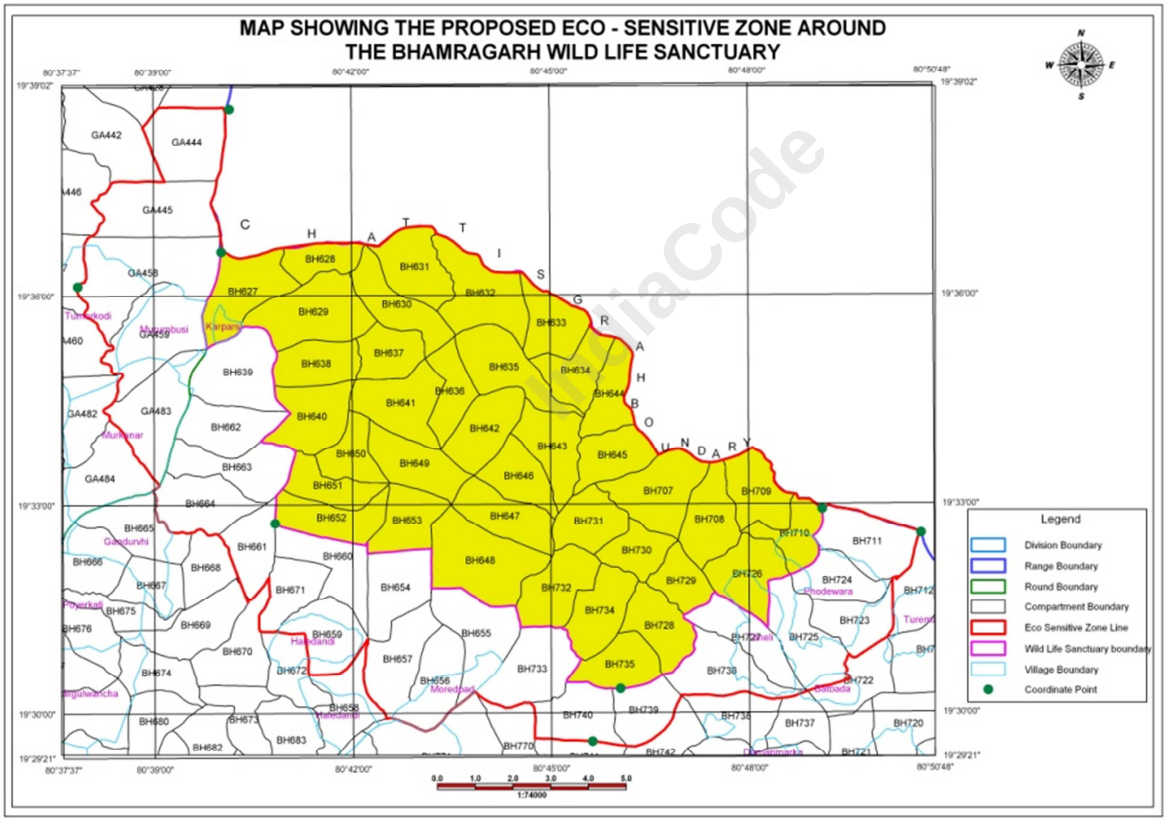
पश्चिम सीमा पर गांव पधूर,दोभूर, क्रसनार, कोठी और गट्टा और भामरागढ़ के बीच, रेंज सीमा पर उपखंड सं 501, 509, 487, **और** 488 **और परलाकोटा नदी अवस्थित है।**

इस पारिस्थितिक **संवेदी जोन की दक्षिणी सीमा पर ताडपर, हितापादी और हदूर और उपखंड सं** 695, 781, 787, 795, **और** 843 **अवस्थिति है।**

इस पारिस्थितिक **संवेदी जोन की पूर्वी और गांव कुवाकोडी और भामरागढ़ रेंज के उपखंड** 745, 716, 717, 749, 750, **और** 751 **अवस्थिति है।**

उपाबंध II

भामरागढ़ वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर निर्देशांकों सहित पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र



क. भामरागढ़ वन्यजीव अभयारण के भू-निर्देशांकों के प्रमुख स्थान

	अक्षांश	देशांतर
क	उ 19° 36' 36"	पू80° 40.' 02"
ख	उ 19° 30' 19"	पू80° 46' 01"
ग	उ 19° 32' 44"	पू80° 40' 44"
घ	उ 19° 32' 55"	पू80° 49' 07"

ख. भामरागढ़ वन्यजीव अभयारण के पारिस्थितिक संवेदी जोन के भू-निर्देशांकों के प्रमुख स्थान

क्र.सं.	देशांतर	अक्षांश	क्र.सं.	देशांतर	अक्षांश	क्र.सं.	देशांतर	अक्षांश
1	पू80 50 38	उ 19 33 05	24	पू80 43 51	उ 19 30 15	47	पू80 39 25	उ 19 32 36
2	पू80 50 25	उ 19 32 04	25	पू80 43 28	उ 19 30 01	48	पू80 39 13	उ 19 32 35
3	पू80 50 09	उ 19 31 53	26	पू80 43 13	उ 19 29 46	49	पू80 39 08	उ 19 32 44
4	पू80 50 09	उ 19 31 11	27	पू80 43 05	उ 19 29 43	50	पू80 39 03	उ 19 32 46
5	पू80 50 04	उ 19 31 04	28	पू80 42 29	उ 19 29 53	51	पू80 38 59	उ 19 32 55
6	पू80 49 34	उ 19 30 46	29	पू80 42 26	उ 19 30 02	52	पू80 39 01	उ 19 33 04
7	पू80 4930	उ 19 30 50	30	पू80 42 13	उ 19 30 15	53	पू80 38 57	उ 19 33 11
8	पू80 49 25	उ 19 30 40	31	पू80 42 08	उ 19 30 27	54	पू80 39 04	उ 19 33 16
9	पू80 49 27	उ 19 30 36	32	पू80 42 12	उ 19 31 03	55	पू80 38 42	उ 19 33 43
10	पू80 49 26	उ 19 30 32	33	पू80 41 54	उ 19 30 37	56	पू80 38 29	उ 19 34 04
11	पू80 49 31	उ 19 30 29	34	पू80 41 47	उ 19 30 34	57	पू80 38 20	उ 19 34 12
12	पू80 48 41	उ 19 30 14	35	पू80 41 18	उ 19 30 33	58	पू80 38 18	उ 19 34 17
13	पू80 48 20	उ 19 30 11	36	पू80 41 16	उ 19 31 07	59	पू80 38 13	उ 19 34 21
14	पू80 47 55	उ 19 30 17	37	पू80 40 35	उ 19 31 11	60	पू80 38 23	उ 19 34 30
15	पू80 47 38	उ 19 30 14	38	पू80 40 34	उ 19 31 24	61	पू80 38 26	उ 19 34 44
16	पू80 46 58	उ 19 30 14	39	पू80 40 44	उ 19 31 40	62	पू80 38 31	उ 19 34 50
17	पू80 46 49	उ 19 29 53	40	पू80 40 43	उ 19 31 57	63	पू80 38 30	उ 19 34 53
18	पू80 46 29	उ 19 29 36	41	पू80 41 23	उ 19 31 35	64	पू80 38 22	उ 19 34 54
19	पू80 46 16	उ 19 29 31	42	पू80 42 05	उ 19 32 23	65	पू80 38 20	उ 19 35 01
20	पू80 44 44	उ 19 29 38	43	पू80 39 55	उ 19 32 34	66	पू80 38 11	उ 19 35 04
21	पू80 44 43	उ 19 30 05	44	पू80 39 47	उ 19 32 33	67	पू80 38 17	उ 19 35 11
22	पू80 44 37	उ 19 30 08	45	पू80 39 40	उ 19 32 39	68	पू80 38 21	उ 19 35 13
23	पू80 44 20	उ 19 30 02	46	पू80 39 33	उ 19 32 34	69	पू80 38 22	उ 19 35 13

IndiaCode

क्र.सं.	देशांतर	अक्षांश	क्र.सं.	देशांतर	अक्षांश	क्र.सं.	देशांतर	अक्षांश
70	पू80 38 16	उ 19 35 20	80	पू80 38 08	उ 19 36 53	90	पू80 39 09	उ 19 37 38
71	पू80 38 07	उ 19 35 36	81	पू80 38 10	उ 19 37 01	91	पू80 38 49	उ 19 38 26
72	पू80 37 57	उ 19 35 43	82	पू80 38 14	उ 19 37 05	92	पू80 38 04	उ 19 38 42
73	पू80 37 59	उ 19 35 52	83	पू80 38 14	उ 19 37 09	93	पू80 40 03	उ 19 38 42
74	पू80 37 50	उ 19 36 03	84	पू80 38 03	उ 19 37 20	94	पू80 40 38	उ 19 38 14
75	पू80 37 51	उ 19 36 10	85	पू80 38 04	उ 19 37 22	95	पू80 40 00	उ 19 37 48
76	पू80 37 57	उ 19 36 13	86	पू80 38 09	उ 19 37 20	96	पू80 39 51	उ 19 37 19
77	पू80 37 55	उ 19 36 31	87	पू80 38 10	उ 19 37 27	97	पू80 39 59	उ 19 37 02
78	पू80 37 56	उ 19 36 44	88	पू80 38 17	उ 19 37 30	98	पू80 40 01	उ 19 36 40
79	पू80 37 58	उ 19 36 49	89	पू80 38 23	उ 19 37 38			

उपाबंध III

पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं	प्रभाग	श्रेणी	ग्राम का नाम	देशांतर	अक्षांश
1	2	3	4	5	6
1	भामरागढ़	भामरागढ़	कोरपारशी	80:40:02.478	19:35:33.924
2			मोरादपार	80:43:37.232	19:30:20.544
3			तिमेली	8048:08.376	19:30:45:219
4			पोदेवादा	80:49:13.319	19:31:39.180
1		गट्टा	तुमसाकोदी	80:38:00.646	19:35:41.500
2			मारकनार	80:38:30.006	19:33:59.538
3			मुरमभुशी	80:39:03.511	19:35:28.400

IndiaCode

उपाबंध IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, 12th April, 2017

S.O.1175(E).- WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 3224 (E), dated the 23rd November 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And Whereas**,** copies of the Gazette containing the said notification were made available to the dated the 23rd November 2015,

And Whereas, objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

And Whereas**,** the Bhamragarh Wildlife Sanctuary is situated in Gadchiroli District of Maharashtra and is spread over an area of 104.38 square kilometres;

And Whereas, the Sanctuary is rich in biodiversity and harbours 245 plants species, 193 species of birds, in addition to a wide spectrum of insects and almost all classes of vertebrates;

And Whereas, 73 species of herbs, 15 species of shrubs, 47 species of grasses and 69 species of trees have been documented from the area, of which 151 species are medicinal plants;

And Whereas, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Bhamragarh Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

Now Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government here by notifies an area with an extent of three to six kilometres all around the boundary of Bhamragarh Wildlife Sanctuary in the State of Maharashtra as the Bhamragarh Wildlife Sanctuary Eco sensitive Zone (herewith after called as Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of 85.75 square kilometres with an extent of up to three to six kilometres all around the boundary of Bhamragarh Wildlife Sanctuary in the State of Maharashtra. The boundary description of the Eco-sensitive Zone is given in **Annexure I**.

(2) The Eco-sensitive Zone is spread across 7 villages in Gadchiroli District of Maharashtra.

(3) The list of the villages falling within Eco-sensitive Zone along with coordinates of prominent points is appended as **Annexure II.**

(4) The map of the eco-sensitive zone along with latitude and longitude is appended to this notification as **Annexure III.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;
(ii) Forest;
(iii) Urban Development;
(iv) Tourism;
(v) Municipal;
(vi) Revenue;
(vii) Agriculture;
(viii) Maharashtra State Pollution Control Board;
(ix) Irrigation; and
(x) Public Works Department

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed at item numbers 10,17, 23, 30 and 33 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities;
(ii) Widening and strengthening of existing roads;
(iii) Small scale industries not causing pollution;
(iv) Rainwater harvesting; and

IndiaCode

(v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural Springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas as which are detrimental to such areas.

(3) **Eco-Tourism.-** (i) The activity relating to eco-tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Eco-Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(ii) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, Government of Maharashtra in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Maharashtra.

(iii) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(a) all new eco-tourism activities or expansion of existing eco-tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as applicable and as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(b) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the Bhamragarh Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities. However, beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Protected Areas till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(c) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural Heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs and other natural heritage shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or State Pollution Control Board shall implement standards and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rule made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made therein. -

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder;

(12) **Industrial Units.-** (a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
	Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) New mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited effect except for the domestic needs of *bona fide* local residents with reference to digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per laws.
5.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per laws.
6.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per laws.
7.	New wood based industry.	Establishment of new wood based industry shall not be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law.
8.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporates, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. However, initiatives on a small-scale by the local farmers are permitted.
	Regulated Activities	
9.	Commercial use of firewood.	Regulated (except as otherwise provided) as per laws.
10.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one Kilometre of the boundary of the Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometre and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansions of existing activities would in conformity and Tourism Master Plan and guidelines of National Tiger Conservation Authority. All planning and regulations decided by local / regional / town planning authorities of State Government will prevail on above regulations.
11.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be allowed within one kilometre from the boundary of the Protected Area: Provided that, local people shall be allowed to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed at item 3(1), the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Further, beyond one kilometre upto the extent of Eco-sensitive Zone construction for bona fide local needs shall be allowed and other commercial construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan. (c) construction activity in the Eco-sensitive Zone shall be as per Zonal Master Plan. All planning and regulations decided by local / regional / town planning authorities of State Government will prevail on above regulations.
12.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.	Regulated (except as otherwise provided) as per laws.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under. (c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
14.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be allowed only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted,

		shall require prior written permission from the concerned regulatory authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
15.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	(iii) Erection of electric cables to be permitted only for villages where there is no electricity (iv) Augmentation/ Renovation of electric and telecommunication cabling are permitted. (ii) Promote underground cabling
16.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under as per laws.
17.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under as per laws.
19.	Introduction of exotic species.	Regulated under as per laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under as per laws.
21.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
22.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under as per laws.
23.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment.
24.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under as per laws.
25.	Air and vehicular pollution.	Regulated under as per laws.
26.	Solid waste management.	Regulated under as per laws.
27.	Use of polythene bags by shopkeepers.	Regulated under as per laws.
28.	Drastic change of agriculture systems.	Regulated under as per laws.
Promoted Activities		
29.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, and fisheries.	However, excessive expansion of some of these activities should be regulated as per, master plan.
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light etc to be promoted.
35.	Skill development.	Shall be actively promoted.
36.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.
37.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee:- (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for a period of three years, for the effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following namely:-

I.	The Collector of Gadchiroli District	Chairman;
II.	The Deputy Conservator of Forests (Wildlife), Allapalli	Member;
III.	A representative each of Department of Revenue, police, Public Works Department, Industries, Water Resources, Urban Development, Rural Development of Government of Maharashtra	Members;

IV.	One representative of Non Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Maharashtra	Member;
V.	one expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Maharashtra	Member;
VI.	The Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board,	Member;
VII.	Member-Secretary/Member, State Biodiversity Board	Member;
VIII.	The Senior Town Planner, Buldhana	Member; and
IX.	The Deputy Conservator of Forest (T) - Bhamragarh	Member-Secretary.

Terms of Reference.- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned Park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure IV**.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F.No. 25/12/2015-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

Annexure I

Description of Boundaries of proposed Eco-sensitive Zone

The entire area of Bhamragarh Wildlife Sanctuary and the proposed Eco-sensitive Zone is remote and traversed by perennial rivers namely Parlakota, Pamulgautam and Nibra. On its Northern side, which is bordering with Chattisgarh

State in par, the Eco-sensitive Zone has common boundary with forests of Bhamragarh Range of Bhamragarh Forest Division of Maharashtra Forest Department. The village Hicker of Gatta Range and compartment nos. 410, 421 and 425 of Gatta Range are also located on the Northern border of this Eco-sensitive Zone.

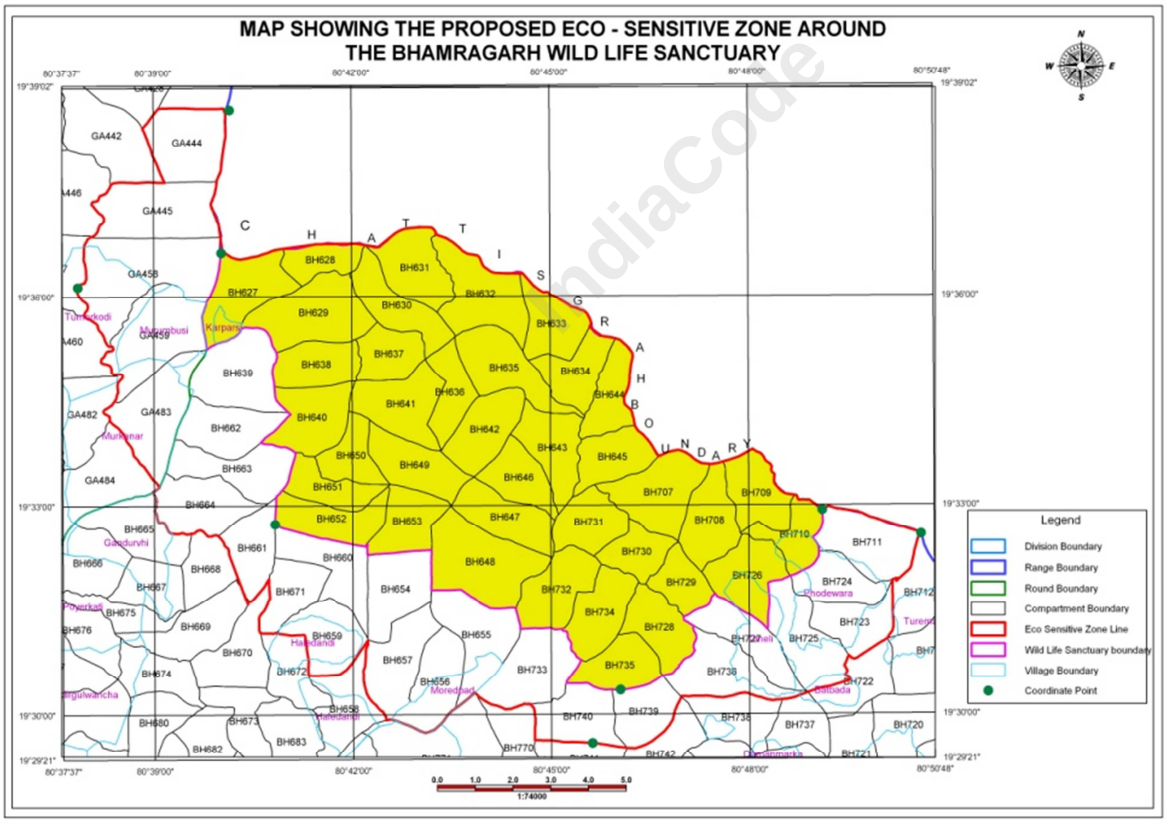
Western side is bordered with villages Padhur, Dobhur, Krusnar, Kothi and Compartment no. 501, 509, 487 and 488 and river Parlakota is the range boundary between Gatta and Bhamragarh.

On southern side of the Eco-sensitive Zone are villages Tadpar, Hitapadi and Hidur and compartment nos. 695, 781, 787, 795 and 843.

Eastern side of the Eco-sensitive Zone are villages Kuwakodi and compartments 745, 716,717, 749, 750 and 751 of the Bhamragarh Range.

Annexure II

Map of proposed Eco-sensitive Zone Around Bhamragarh Wildlife Sanctuary along with coordinates



A. GEO-CORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF BHAMRAGARH WILDLIFE SANCTUARY

	Latitude	Longitude
A	N 19° 36’ 36’’	E 80° 40.’ 02”
B	N 19° 30’ 19’’	E 80° 46’ 01”
C	N 19° 32’ 44”	E 80° 40’ 44”
D	N 19° 32’ 55”	E 80° 49’ 07”

B. GEO-CORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE OF BHAMRAGARH WILDLIFE SANCTUARY

Sr.No.	Longitude	Latitude	Sr.No.	Longitude	Latitude	Sr.No.	Longitude	Latitude
1	E80 50 38	N 19 33 05	24	E80 43 51	N 19 30 15	47	E80 39 25	N 19 32 36
2	E80 50 25	N 19 32 04	25	E80 43 28	N 19 30 01	48	E80 39 13	N 19 32 35
3	E80 50 09	N 19 31 53	26	E80 43 13	N 19 29 46	49	E80 39 08	N 19 32 44
4	E80 50 09	N 19 31 11	27	E80 43 05	N 19 29 43	50	E80 39 03	N 19 32 46
5	E80 50 04	N 19 31 04	28	E80 42 29	N 19 29 53	51	E80 38 59	N 19 32 55
6	E80 49 34	N 19 30 46	29	E80 42 26	N 19 30 02	52	E80 39 01	N 19 33 04
7	E80 4930	N 19 30 50	30	E80 42 13	N 19 30 15	53	E80 38 57	N 19 33 11
8	E80 49 25	N 19 30 40	31	E80 42 08	N 19 30 27	54	E80 39 04	N 19 33 16
9	E80 49 27	N 19 30 36	32	E80 42 12	N 19 31 03	55	E80 38 42	N 19 33 43
10	E80 49 26	N 19 30 32	33	E80 41 54	N 19 30 37	56	E80 38 29	N 19 34 04
11	E80 49 31	N 19 30 29	34	E80 41 47	N 19 30 34	57	E80 38 20	N 19 34 12
12	E80 48 41	N 19 30 14	35	E80 41 18	N 19 30 33	58	E80 38 18	N 19 34 17
13	E80 48 20	N 19 30 11	36	E80 41 16	N 19 31 07	59	E80 38 13	N 19 34 21
14	E80 47 55	N 19 30 17	37	E80 40 35	N 19 31 11	60	E80 38 23	N 19 34 30
15	E80 47 38	N 19 30 14	38	E80 40 34	N 19 31 24	61	E80 38 26	N 19 34 44
16	E80 46 58	N 19 30 14	39	E80 40 44	N 19 31 40	62	E80 38 31	N 19 34 50
17	E80 46 49	N 19 29 53	40	E80 40 43	N 19 31 57	63	E80 38 30	N 19 34 53
18	E80 46 29	N 19 29 36	41	E80 41 23	N 19 31 35	64	E80 38 22	N 19 34 54
19	E80 46 16	N 19 29 31	42	E80 42 05	N 19 32 23	65	E80 38 20	N 19 35 01
20	E80 44 44	N 19 29 38	43	E80 39 55	N 19 32 34	66	E80 38 11	N 19 35 04
21	E80 44 43	N 19 30 05	44	E80 39 47	N 19 32 33	67	E80 38 17	N 19 35 11
22	E80 44 37	N 19 30 08	45	E80 39 40	N 19 32 39	68	E80 38 21	N 19 35 13
23	E80 44 20	N 19 30 02	46	E80 39 33	N 19 32 34	69	E80 38 22	N 19 35 13

IndiaCode

Sr.No.	Longitude	Latitude	Sr.No.	Longitude	Latitude	Sr.No.	Longitude	Latitude
70	E80 38 16	N 19 35 20	80	E80 38 08	N 19 36 53	90	E80 39 09	N 19 37 38
71	E80 38 07	N 19 35 36	81	E80 38 10	N 19 37 01	91	E80 38 49	N 19 38 26
72	E80 37 57	N 19 35 43	82	E80 38 14	N 19 37 05	92	E80 38 04	N 19 38 42
73	E80 37 59	N 19 35 52	83	E80 38 14	N 19 37 09	93	E80 40 03	N 19 38 42
74	E80 37 50	N 19 36 03	84	E80 38 03	N 19 37 20	94	E80 40 38	N 19 38 14
75	E80 37 51	N 19 36 10	85	E80 38 04	N 19 37 22	95	E80 40 00	N 19 37 48
76	E80 37 57	N 19 36 13	86	E80 38 09	N 19 37 20	96	E80 39 51	N 19 37 19
77	E80 37 55	N 19 36 31	87	E80 38 10	N 19 37 27	97	E80 39 59	N 19 37 02
78	E80 37 56	N 19 36 44	88	E80 38 17	N 19 37 30	98	E80 40 01	N 19 36 40
79	E80 37 58	N 19 36 49	89	E80 38 23	N 19 37 38			

IndiaCode

Annexure III

List of Villages falling within the proposed Eco sensitive Zone

Sr No.	DIVISION	RANGE	VILLAGE NAME	LONGITUDE	LATITUDE
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Bhamragarh	Bhamragarh	Korparshi	80:40:02.478	19:35:33.924
2			Moradpar	80:43:37.232	19:30:20.544
3			Timeli	8048:08.376	19:30:45:219
4			Podewada	80:49:13.319	19:31:39.180
1		Gatta	Tumarkodi	80:38:00.646	19:35:41.500
2			Marknar	80:38:30.006	19:33:59.538
3			Murmbhushi	80:39:03.511	19:35:28.400

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings:
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attached minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.04.20 20:41:17 +05'30'